न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/527

मुकदमा नम्बर 189/2024

दर्ज दिनांक– 04.12.2024

जगराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी घीसा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 04.12.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम घीसा की ढाणी पटवार हल्का डूमरा के खाता सं. नया 103 के खसरा नं. 204 तथा खाता सं. 104 के खसरा नं. 201 व 202 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदेवा पुत्र नत्थूराम के स्थान पर जगराम पुत्र नत्थूराम दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र के साथ पटवारी, भू.अ.निरीक्षक व तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट, आवेदक का शपथ पत्र फर्द मौका रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रा. पत्र पटवारी हल्का कि रिपोर्ट तथा दस्तावेजों से साबित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्रामघीसा की ढाणी पटवार हल्का डूमरा के खाता सं. नया 103 के खसरा नं. 204 तथा खाता सं. 104 के खसरा नं. 201 व 202 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदेवा पुत्र नत्थूराम के स्थान पर जगराम पुत्र नत्थूराम दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू